न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

प्रतिवादी / अभियुक्तगण **बनाम**

1. राजेश कुमार रावल पुत्र श्री धुलाराम रावल, मैनेजर एवं विक्रेता, मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही निवासी– रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही
2. निकुल रावल पुत्र श्री राजेश कुमार रावल, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही निवासी– रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही
3. अशोक कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सानिया ट्रेडिंग कम्पनी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली, निवासी– भैरुचौक, खेडा देवी मन्दिर के पास, सुमेरपुर, जिला– पाली

F.S.S.Act Case No.90/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः प्रतिवादी श्री राजेश कुमार रावल व प्रतिवादी अशोक कुमार ।

–: निर्णय :– **दिनांक 06 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 16–5–2025 को मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व मैनेजर राजेश कुमार रावल पुत्र श्री धुलाराम रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) का नमूना संख्या S-2712 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./881/Act/2025/881 दिनांक 27–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी राजेश कुमार रावल ने दिनांक 09–01–2026 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं की ओर से व प्रतिवादी निकुल रावल की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 06–3–2026 को प्रतिवादी राजेश कुमार रावल व प्रतिवादी अशोक कुमार इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अशोक कुमार ने भी लिखित जबाव प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 06–3–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 06–3–2026 को ही प्रतिवादी राजेश कुमार रावल व प्रतिवादी अशोक कुमार को सुना गया, जिन्होनें यह व्यक्त किया कि उनके द्वारा Welnut Kernels (Brand Hansraj) को पैकिंग अवस्था में खरीदा है व पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है। खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) के खरीद का बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी आवेदक खाद्य

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

सुरक्षा अधिकारी ने Welnut Kernels (Brand Hansraj) की निर्माता व पैकर फर्म को पक्षकार नही बनाया है, जबकि निर्माता फर्म ही दोषी है, इसमें हमनें कोई गलती नही की है, इसलिये हमें इस प्रकरण से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 16—5—2025 को 5—40 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर मैनेजर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी राजेश कुमार रावल पुत्र श्री धुलाराम रावल, निवासी— रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड़, पिण्ड़वाडा की दुकान के निरीक्षण के दौरान मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर एक रैक में खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) के 10 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250—250 ग्राम) आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी मैनेजर व विक्रेता राजेश कुमार रावल को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड़, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर एक रैक में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) के 10 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 250—250 ग्राम) में से Welnut Kernels (Brand Hansraj) के 04 (चार) पैक पैकेटों (प्रत्येक पैकेट 250—250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1200/— (रुपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता व मैनेजर राजेश कुमार रावल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2712, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता राजेश कुमार रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) के चारों नमूना पैकेटों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा Welnut Kernels (Brand Hansraj) के चारों नमूना पैकेटों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता राजेश कुमार रावल तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता राजेश कुमार रावल व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 19—5—2025 को नमूनें का एक भाग

......पेज तीन पर

न्यायिक मजि० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 16–5–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) के नमूना संख्या S-2712 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./881/Act/2025/881 दिनांक 27–5–2025 में खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड, पिण्डवाडा की खाद्य पदार्थ विक्रय की अनुज्ञप्ति प्रतिवादी निकुल रावल के नाम से जारी की हुई है, जो उक्त फर्म मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट का प्रोपराईटर व खाद्य कारोबारकर्ता है तथा मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट में प्रतिवादी राजेश कुमार रावल मैनेजर है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी निकुल रावल की फर्म मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) को मैसर्स सानिया ट्रेडिंग कम्पनी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– सिरोही से जरिये बिल खरीद किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी निकुल रावल की फर्म कृष्णा मेगा मार्ट में प्रतिवादी राजेश कुमार रावल द्वारा तथा फर्म मैसर्स सानिया ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर प्रतिवादी अशोक कुमार द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Welnut Kernels (Brand Hansraj) (नमूना संख्या S-2712) के विक्रय हेतु प्रतिवादी निकुल रावल पुत्र श्री राजेश कुमार रावल, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स कृष्णा मेगा मार्ट, रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, निवासी– रामदेव पार्क के पास, बस स्टेण्ड़ रोड़, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) एवं प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स सानिया ट्रेडिंग कम्पनी, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली, निवासी– भैंरुचौक, खेडा देवी मन्दिर के पास, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी निकुल रावल पुत्र श्री राजेश कुमार रावल एवं प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में जारी अलग–अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)